



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 872293



(प्रारूप-अ)

माम 2022-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

हम श्री सानाम एवं श्री रामसहाय यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक श्री बदलू राम स्मरक एवं जनकल्याण समिति, पता- ग्राम-कांठीपुर, पोस्ट-बामनेनर, तहसी-सोहावल, जिला-अयोध्या संपत्तिका गिनतान बयान करते हैं-

1. यह कि इसकी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा जम नं 01 चर्माकली न्यायिकलय पता- कल्याण नदरला, तहसी-सोहावल, जिला-अयोध्या में संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि इसकी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम श्री बदलू राम स्मरक एवं जनकल्याण समिति, पता- ग्राम-कांठीपुर, पोस्ट-बामनेनर, तहसी-सोहावल, जिला- अयोध्या में गाटा संख्या 150 रकबा 08134 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उल्लेख भूमि के गाटा संख्या 150 रकबा 0 8134 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15-01-2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तुत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान संघालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

1) यह शपथपत्र का प्रारूप -
2) यह शपथपत्र का प्रारूप -
3) यह शपथपत्र का प्रारूप -
4) यह शपथपत्र का प्रारूप -
5) यह शपथपत्र का प्रारूप -

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त भू पर सौसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आईआईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षाएं, प्रयोगशालाओं एवं फार्मसी कक्षाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सौसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, संस्थान / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करना। यदि वर संस्था में किसी भी समय कालीन निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज कर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून सगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

मेरे द्वारा संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।


 50 प्रत्येक


 50 अक्षर